प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
<u>निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्याः 112/**2023** (अपील सूचना का अधिकार)</u>

प्रकाश चन्द्र पालीवाल पुत्र मोहनलाल ब्राह्मण निवासीः 287–ए, श्रीनाथ–विला, पुरानी बस्ती, चारभुजा मन्दिर के पास, गणेश नगर, पराड़ा, तहसील–गिर्वा उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

<u>बनाम</u>

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

<u>प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 10/10/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 07.08.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/112/23/1257–58 दिनांक 15.09.2023 से लिखा गया। अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2023/1911 दिनांक 09.10.2023 से जवाब प्रस्तुत करने हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 1 से 3 तक की सूचना चाही गई थी। चाही गई सूचना श्रीमान अति. जिला कलक्टर एवं लोक सूचना अधिकारी उदयपुर से संबंधित होने से मूल प्रार्थना पत्र की छाया प्रति संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक स. लो.सू.अ./2023/1503 दिनांक 18.08.2023 से अंतरित किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड कार्यालय गिर्वा से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, उदयपुर से संबंधित होने से प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को जरिये पत्रांक 1503 दिनांक 18.08.2023 से अंतरित किया गया।

चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा प्रार्थी द्वारा चाही गई उक्त बिन्दुओं की सूचना का अंतरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अनुसार निर्धारित समयावधि 5 दिवस में नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना संबंधित लोक अधिकरण से प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध करावे। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर